

तारीख
हुक्म

दावा नं. 634/18 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलप जज

7 12
2021

पत्रावली चेषा हुई (वाकिगल व वाकिगल के अधिवक्ता को बाल-बाल आवाज दिलाई गई। पुनः बाल-बाल आवाज दिलाई गई। बार-बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वाकिगल व वाकिगल के अधिवक्ता से ऐसे कोई पुकारकत नहीं आया। अतः वाकिगल का नाम उद्देश्य हाजरी अदम्य वरवी से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली केसल शुभा होकर नरकर से कम होकर दस्ता डारिबल हो (७)

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

